

an>

Title: Need to give pension benefits to BSF personnel who have completed 10 years of service.

श्री गड्डल करवां (चुरू) : अध्यक्ष महोदया, बीएसएफ के नियम के तहत बीस वर्ष सेवा में रहने पर विशेष परिस्थितियों में सेवानिवृत्ति लेने का प्रावधान है।... (व्यवधान) इस नियम के तहत वर्ष 1996 से 2000 के बीच करीब 700 जवान एवं अधिकारी ऐसे हैं जिनका सेवा कार्य दस वर्ष से अधिक है।... (व्यवधान) इन जवानों एवं अधिकारियों को सेवानिवृत्ति के बावजूद पेंशन व अन्य भत्ते नहीं दिए जा रहे हैं।... (व्यवधान) इन 700 जवानों, अधिकारियों में 70 अधिकारी मेरे क्षेत्र चुरू से आते हैं।... (व्यवधान) राजस्थान वीरों की धरती रही है। हाल ही में आपने देखा होगा कि वेतन वीता जो सीआईएसएफ में कमांडेंट रहे, वे 9 गोलियां खाने के बावजूद भी बचे और आतंकवादियों से लड़ाई की। मेरा आपसे अनुरोध है कि जो लोग बीएसएफ में दस वर्षों का समय पूरा कर चुके हैं, उन्हें उनकी पेंशन दी जाए। ऐसे 700 लोग पिछले पन्द्रह सालों से केस लड़ रहे हैं। सरकार इस बारे में अपना स्टैंड ले और इन लोगों को पेंशन और अन्य भत्ते दिए जाएं।

माननीय अध्यक्ष : श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत, श्री लखन लाल साहू, श्री ओम बिरला और कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री गड्डल करवां द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।